समाहरणालय गोपालगंज
(जिला योजना कार्यालय)
आदेश

प्रधान सचिव,योजना एंव विकास विभाग,बिहार,पटना के पत्रांक 3392 दिनांक 10.11.2011 के आलोक में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का दिनांक 12.07.2013 को माननीय मंत्री–सह–अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में श्री सुनिल कुमार सिंह, मा0स0वि0प0, गोपालगंज द्वारा अनुशासित योजनाओं का प्रखंडवार/नगर निकायवार अनुमोदित किया गया है। योजना एवं विकास विभाग, बिहार,पटना के पत्रांक 1780 दिनांक 03.05.13 द्वारा जले ट्रांसफार्मर बदलने एवं अधूरे विद्युत ग्रामों की विद्युतीकरण की योजना की निति निर्धारित की गयी है। प्राप्त मार्गदर्शिका में निहित निदेश के आलोक में तद्नुसार कार्यपालक अभियंता,विद्युत प्रमंडल,गोपालगंज के द्वारा ग्रामवार प्राक्कलन तैयार कर तकनिकी स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं पत्रांक 1185 दिनांक 26.10.2013 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है। कार्यपालक अभियंता,विद्युत प्रमंडल,गोपालगंज द्वारा प्रदत्त तकनिकी स्वीकृति के आधार पर निम्नलिखित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

क्र0	प्रखंड का नाम	स्वीकृति योजनओं का नाम	तकनिकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	2	3	4	5
1	कुचायकोट	नेचुआ खुर्द महेन्द्र दास उच्च विद्यालय एवं अति प्र0स्वा0केन्द्र,नेचुआ जलालपुर के पास 63 के0भी0ए0 का अतिरिक्त वितरण उप केन्द्र बैठाने हेतु।	456500.00	456500.00
		कुल योगः–	**456500.00**	**456500.00**

<u>कार्यकारी एजेन्सी का नाम</u> :–स्वीकृत योजनाओं का कार्य कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल,(बिहार स्टेट होंल्डिग पावर लि0.)गोपालगंज द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

कार्यपालक अभियंता,स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल,गोपालगंज को निदेश दिया जाता है कि प्रशासनिक स्वीकृति की राशि को बिहार स्टेट पावर होल्डिग कम्पनी लि0 के नाम से बैंक ड्राफ्ट बनाकर उपलब्ध करावेगें तथा उसकी सूचना जिला योजना कार्यालय,गोपालगंज को भेजेगें।

कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल,गोपालगंज का यह दायित्व होगा कि उपावंटित राशि के व्यय के पश्चात अभिश्रव कार्यपालक अभियंता,स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल,गोपालगंज को उपलब्ध कराते हुए उसकी सूचना जिला योजना कार्यालय,गोपालगंज को भी उपलब्ध करावेंगें।

<u>कार्यान्वयन की शर्ते</u>

1. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व फोटो ग्रफ कराना होगा एवं कार्य पूर्ण होने के उपरांत भी फोटो ग्राफ करना होगा।
2. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कंडिकावार विशिष्टियों के अनुरूप योजना–कार्य सम्पादित किया जाय।
3. योजना के कार्य की गुणवता में किसी प्रकार की कमी या त्रृटि पाए जाने पर सारी जबाबदेही कार्यान्वयन एजेंसी की होगी।
4. योजना स्थल पर योजना से संबंधित पूर्ण विवरणी अंकित करते हुए योजना पट्ट लगाना सुनिश्चित किया जाय।
5. योजना पूर्ण होने पर प्रारंभ करने की तिथि तथा पूर्ण होने की तिथि के साथ पूर्णता/उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जाय।

Indrajit/y-31-10-13

योजना कार्यालय,गोपालगंज को भेजा जाए।

6

जिला योजना पदाधिकारी,
गोपालगंज।

ज्ञापांक........../ दिनांक............/

प्रतिलिपिः— कार्यपालक अभियंता,स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल,गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उक्त मद में प्राप्त आवंटन से बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लि0 के खाता सं0–Deposit works accounts-ABA/C No-0352101042061 के नाम से राशि का बैंक ड्राफ्ट बनाकर भेजना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपिः— कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल,(बिहार स्टेट होल्डिंग पावर लि0.)गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला योजना पदाधिकारी,
गोपालगंज।

ज्ञापांक 630 / दिनांक 6-11-13 /

प्रतिलिपिः— कोषागार पदाधिकारी,गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— आई0टी0मैनेजर,एन0आई0सी0,गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.11.13

जिला योजना पदाधिकारी,
गोपालगंज।

(27)

Indrajit/v-31-10-13

समाहरणालय गोपालगंज
(जिला योजना कार्यालय)
आदेश

प्रधान सचिव योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3392 दिनांक 10.11.2011 के आलोक में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का दिनांक 12.07.13 को माननीय मंत्री–सह–अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित जिलास्तरीय चयन समिति की बैठक में प्रखंडवार/नगरनिकायवार अनुमोदित योजनाओं का प्राक्कलन तैयार कर कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज के द्वारा योजनावार प्राक्कलन राशि पर तकनिकी स्वीकृति प्रदान की गई है एवं पत्रांक 1430 दिनांक 28.10.13 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है। कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन गोपालगंज के द्वारा प्रदत तकनिकी की राशि पर अंचल अधिकारी से जमीन सरकारी होने से संबंधित प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में दो योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0	प्रखंड का नाम	स्वीकृती योजनाओं का नाम	तकनिकी स्वीकृती की राशि	प्रशासनिक स्वीकृती की राशि
1	2	3	4	5
1	गोपालगंज	गोपालगंज सदर प्रखंड अन्तर्गत उर्दू उच्च विद्यालय तुरकाहाँ के प्रांगण में मौलाना मजहरूल हक के प्रतिमा की मरम्मती एवं सौदर्यीकरण कार्य।	188800.00	188800.00
2	मांझा	ग्राम पंचायत गौसिया ग्राम धामापाकड़ मे काशीनाथ महतो के घर से यासिन मियाँ के बथान तक जानेवाली पथ का पी0सी0सी0 एवं नाला।	2257400.00	2257400.00
		कुल योगः–	**2446200.00**	**2446200.00**

कार्यकारी एजेन्सी का नाम :– इन स्वीकृती योजनाओं का कार्य निविदा के माध्यम से कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल, गोपालगंज द्वारा संपादित किया जायेगा।

<u>कार्यान्वयन की शर्ते :–</u>

1. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संतुष्ट हो लेगें कि स्थल विवादग्रस्त नही है तथा किसी की निजी जमीन योजना स्थल के बीच में नहीं पडती है। योजना कार्य के किसी भी वजह से अवरूद्ध होने की स्थिति में सारी जबाबदेही आपकी होगी।
2. प्रधान सचिव,योजना एवं विकास विभाग,बिहार,पटना के पत्रांक 3757 दिनांक 02.09.13 संलग्न पत्र एवं सचिव पथ निर्माण विभाग,बिहार,पटना के संकल्प सं0 6831 दिनांक 26.08.2013 के कंडिका नियम 159(क) 1 में निहित निदेश के आलोक में 7.50 (सात लाख पचास हजार) रू0 मात्र कम राशि की योजनाओं के लिए दैनिक समाचार पत्र/इन्टरनेट मे निविदा आमंत्रण सूचना का प्रकाशन आवश्यक नहीं होगा। 7.50 (सात लाख पचास हजार) रू0 से कम लागत की योजनओं के लिए स्थानीय स्तर पर पचार–प्रसार द्वारा निविदा आमंत्रित कर योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। 7.50 (सात लाख पचास हजार) रू0 के उपर की योजनाओं पर बिहार लोक निर्माण संहिता की अन्य शर्त्त यथावत रहेगी।
3. योजनाओं के प्राक्कलन का पुररीक्षण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।
4. विमुक्ति राशि का 60 प्रतिशत राशि व्यय होने के पश्चात् मापी पुस्तिका की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ विहित प्रपत्र में मांगपत्र कार्यालय में उपलब्ध करायी जाय, ताकि द्वितीय किस्त की राशि की विमुक्ति हेतु वांछित कार्रवाई की जा सके।
5. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कंडिकावार विशिष्टियों के अनुरूप योजना–कार्य सम्पादित किया जाय।

Indrajit/y-30-10-13

होगी।

7. योजना स्थल पर योजना से संबंधित पूर्ण विवरणी अंकित करते हुए योजना पट्ट लगाना सुनिश्चित करे।
8. योजना स्थल पर स्वीकृति प्राक्कलन की एक प्रति रखा जाना आवश्यक है।
9. योजना स्थल पर योजना प्रारंभ करने के पूर्व एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटो/विडियो ग्राफी योजना कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. योजना पूर्ण होने पर प्रारंभ करने की तिथि तथा पूर्ण होने की तिथि के साथ पूर्णता/उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजा जाए ताकि इन नवसृजित योजनाओं का भविष्य में रख रखाव हेतु संबंधित प्रशासी विभाग को स्थानांतरित किया जा सके।
11. योजना का कार्य तीन माह में निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाय।
12. योजना कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित अंचलाधिकारी से भूमि संबंधी स्पष्ट प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लें। यदि योजना स्थल में किसी की रैयती भूमि अवस्थित हो तो भू–दाता के द्वारा उसे महामहिम राज्यपाल के नाम से निबंधित करने के पश्चात् ही योजना कार्य प्रारंभ करें। अन्यथा किसी भी प्रकार अनियमितता की सारी जबाबदेही संबंधित कार्य एजेन्सी की होगी।
13. प्रत्येक माह की 2 री तारीख तक निश्चित रूप से मासिक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिला योजना कार्यालय, गोपालगंज को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करेगें।

जिला योजना पदाधिकारी,
गोपालगंज।

ज्ञापांक 691 / दिनांक 6-11-13

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उक्त मद में प्राप्त आवंटन से योजना का नियमानुसार कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मनेजर, एन0आई0सी0 गोपालगंज को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

6.11.13

जिला योजना पदाधिकारी,
गोपालगंज।

Indrajit/y-30-10-13

समाहरणालय गोपालगंज
(जिला योजना कार्यालय)
आदेश

प्रधान सचिव,योजना एवं विकास विभाग,बिहार,पटना के द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत निर्गत मार्गदर्शिका पत्रांक 3756 दिनांक 10.11.11 के अनुसार माननीय सांसद श्री पूर्णमासी राम से प्राप्त अनुशंसा पत्र पत्रांक 87/13 दिनांक 27.05.13 के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 447 दिनांक 30.08.13 के द्वारा प्राक्कलन के मांग की गई थी। प्राप्त प्राक्कलन पर योजनावार माननीय सांसद श्री पूर्णमासी राम, गोपालगंज के पत्रांक 05/13 दिनांक 01.11.13 के द्वारा सहमति प्राप्त है। तदनुसार कार्य0 अभि0स्था0 क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,कार्य प्रमंडल,गोपालगंज के द्वारा प्राक्कलन तैयार कर उक्त योजना की मो0 739000.00 की राशि पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है। उनके द्वारा प्रदत्त तकनिकी स्वीकृति मो0 739000.00 अंचल अधिकारी की भूमि उपलब्धता प्रमाण–पत्र के आधार पर कुल मो0 739000.00 की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है एवं प्राप्त मार्गदर्शिका के आलोक में कार्य0 अभि0 स्था0 क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल,गोपालगंज को कार्य एजेन्सी नामित किया जाता है। योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रथम किस्त के रूप में मो0 369500.00 रू0 मात्र विमुक्त करने की स्वीकृति दी जाती है।

क्र0	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि/प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति की राशि	प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	प्रथम किस्त में अग्रीम राशि	योजना पूर्ण होने की तिथि एवं समय
1	2	3	4	5	6
1	नगर परि0, गोपालगंज के वार्ड नं0 04 में रामकुमारी देवी के घर से बलिष्टर मिश्रा चंद्र गोखुल दूबे एवं श्री मनोज सिंह के घर होकर पी0सी0सी0 सडक की ओर जानेवाली पथ में पी0सी0सी0 ढलाई एवं नाला निर्माण कार्य।	739000.00	739000.00	369500.00	3 माह
	कुल योग	739000.00	739000.00	369500.00	

नाजीर, जिला योजना कार्यालय,गोपालगंज को आदेश दिया जाता है कि योजना के कार्यान्यवन हेतु विमुक्त राशि मो0 369500.00 (तीन लाख उनसठ हजार पांच सौ)रू0 मात्र को चेक माननीय सांसद पूर्णमासी राम के अंश निधि से तैयार कर कार्य एजेन्सी कार्य0 अभियंता, एल0ए0ई0ओ0,गोपालगंज को उचित रीति एवं पहचान पर हस्तगत कराना सुनिश्चित करें।

कार्य एजेन्सी कार्य0 अभियंता एल0ए0ई0ओ0,गोपालगंज को निदेश है कि इस आदेश से विमुक्त राशि 369500.00 (तीन लाख उनसठ हजार पांच सौ)रू0 मात्र से योजना का कार्यान्वयन विभागीय मार्गदर्शिका के आलोक में निविदा के माध्यम से निम्नांकित शर्तों के अधीन कार्यान्यवित कराना सुनिश्चित करेंगें।

1. योजना का कार्य प्रारंभ के पूर्व संतुष्ट हो लेगें कि स्थल विवादग्रस्त नहीं है तथा किसी निजी जमीन योजना स्थल के बीच में नहीं पड़ती है। योजना कार्य के किसी भी वजह से अवरूध होने की स्थिति में सारी जबाबदेही आपकी होगीं।
2. प्रधान सचिव,योजना एवं विकास विभाग,बिहार,पटना के पत्रांक 3757 दिनांक 02.09.13 संलग्न पत्र एवं सचिव पथ निर्माण विभाग,बिहार,पटना के संकल्प सं0 6831 दिनांक 26.08.2013 के कंडिका नियम 159(क) 1 में निहित निदेश के आलोक में 7.50 (सात लाख पचास हजार) रू0 मात्र कम राशि की योजनाओं के लिए दैनिक समाचार पत्र/इन्टरनेट मे निविदा आमंत्रण सूचना का प्रकाशन आवश्यक नहीं होगा। 7.50 (सात लाख पचास हजार) रू0 से कम लागत की योजनओं के लिए स्थानीय स्तर पर पचार–प्रसार द्वारा निविदा आमंत्रित कर योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। 7.50 (सात लाख पचास हजार) रू0 के उपर की योजनाओं पर बिहार लोक निर्माण संहिता की अन्य शर्त्त यथावत रहेगी।
3. योजनाओं के प्राक्कलन का पुनरीक्षण किसी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

Indrajit/y-04-11-13

[illegible] उपलब्ध कराया जाय, ताकि द्वितीय किस्त की राशि की विमुक्ति हेतु वांछित कार्रवाई की जा सकें।

5. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कंडिकावार विशिष्टियों के अनुरूप योजना कार्य सम्पादित किया जाय।
6. योजना के कार्य की गुणवता में किसी प्रकार की कमी या त्रृटि पाए जाने पर सारी जबाबदेही आपकी होगी।
7. योजना स्थल पर योजना से संबंधित पूर्ण विवरणी अंकित करते हुए योजना पट्ट लगाना सुनिश्चित करें।
8. योजना स्थल पर स्वीकृति प्राक्कलन की एक प्रति रखा जाना आवश्यक है।
9. योजना स्थल पर योजना प्रारंभ करने के पूर्व एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफी योजना कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. योजना पूर्ण होने पर प्रारंभ काने की तिथि तथा पूर्ण होने की तिथि के साथ पूर्णता/उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजा जाए, ताकि इन नवसृजित योजनाओं का भविष्य में रख–रखाव हेतु संबंधित प्रशासी विभाग को स्थानांतरित किया जा सकें।
11. योजना का कार्य तीन माह में निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाय।
12. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित अंचलाधिकारी से भूमि संबंधी स्पष्ट प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लें। यदि योजना स्थल में किसी की रैयती भूमि अवस्थित हो, तो भू–दाता के द्वारा उसे महामहिम राज्यपाल के नाम से निबंधित करने के पश्चात ही योजना कार्य प्रारंभ करें। अन्यथा किसी भी प्रकार अनियमिमता की सारी जबाबदेही संबंधित कार्य एजेन्सी की होगी।
13. प्रत्येक माह के 2 रीं तारीख तक निश्चित रूप से मासिक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र मे जिला योजना कार्यालय,गोपालगंज को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

जिला योजना पदाधिकारी,
गोपालगंज।

ज्ञापांक 634 /यो0,दिनांक 6/11/2013

प्रतिलिपिः–कार्यपालक अभियंता,स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,कार्य प्रमंडल,गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उक्त मद में प्राप्त आवंटन से योजना का नियमानुसार कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी,गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–नाजीर,जिला योजना कार्यालय,गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0मैनेजर,एन0आई0सी0,गोपालगंज को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

6.11.13

जिला योजना पदाधिकारी,
गोपालगंज।

6/11/13

Indrajit/y-04-11-13